केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
10 JAN 2025
D. No.......
Initials.......

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00144
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00480
अपीलकर्ता मोहम्मद रिज़वान खान

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.10.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.11.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.एस.चिकारा, CPIO (DR to ICAR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.12.2024
निर्णय की तारीख	10.01.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.10.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"(i) संबंधित सीपीआईओ द्वारा द्वितीय अपील CIC/PNBNK/A/2022/138581 पर आयोग द्वारा दिए गए आदेश के सन्दर्भ में आयोग को डाक द्वारा लिखित बयान भेजे जाने के सन्दर्भ में प्राप्त डाक रसीद की छायाप्रति दे।

(ii) संबंधित सीपीआईओ द्वारा द्वितीय अपील के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए आदेश के सन्दर्भ में लिखित बयान किस दिनांक को https:/dsscic.nic.in/online-link-Paper-compliance पर अपलोड किया गया संबंधित दिनांक को बयान अपलोड के सम्बन्ध में प्रमाण की प्रति दे।

o/C

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.एस.चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 18.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"(a) Point 1 & 2.) - The information being asked is third party information hence cannot be provided as per RTI Act para 8 (e). However, the information so asked is available on website CIC.GOV.IN – CITIZEN SERVICE- DAK/APPEAL/COMPLAINT STATUS-DISPATCH-FILE STATUS.

(b) – Further go to speed tracker site of Post Office."

3. प्रथम अपील का आधार

"श्रीमान जी आपके द्वारा प्रार्थी को संबंधित सूचना पत्र में निर्देश दिया गया प्रार्थी संबंधित सूचनाएं वेबसाइट से ले तथा स्पीड पोस्ट सहित पर ट्रेक करें। जबकि श्रीमान जी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ऐसा कही नहीं लिखा है कि आप सूचना पाने वाले व्यक्ति को कही और से सूचनाएं लेने का निर्देश दे सकते है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा दी गयी संबंधित आपत्ति पर विचार करके प्रार्थी को संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें।"

6. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00480 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 10.01.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।